
NOTICE BOARD
1. THE COMPLAINT PETITION(S) SUPPORTED WITH AFFIDAVITS SHALL ONLY BE ENTERTAINED.
2. THE COMPLAINT PETITION (S) SHALL CLEARLY REVEAL THE GRIEVANCES/ALLEGATIONS WITH SPECIFIC CASE NUMER(S) ALONG WITH THE NAME AND DESIGNATION OF THE OFFICER (S) AGAINST WHOM ALLEGATIONS ARE LEVELLED.
3. COMPLAINT PETITION (S) SHOULD BE BRIEF, HAVING VERIFIABLE MATERIALS/DETAILS.
4. THE COMPLAINT PETITION (S) HAVING VAGUE AND ABSURD ALLEGATIONS SHALL NOT BE ENTERTAINED.
5. COMPLAINTS SUBMITTED VIA e-mail MUST BE ACCOMPAINED BY AFFIDAVITS.
सूचना पट्ट
1. सभी शिकायत आबेदन शपथ-पत्र से समर्थित होना चाहिए तभी उन्हें स्वीकार किया जाएगा /
2. शिकायत आवेदन में स्पष्ट रूप से शिकायत या आरोपों का विवरण होना चाहिए, जिसमें संबंधित मामले का केश नंबर और जिन अधिकारी/अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं, उनका नाम और पदनाम भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए /
3. सभी शिकायत आवेदन संक्षिप्त और सत्यापित किए जाने योग्य सामग्री/विवरण से युक्त होना चाहिए
4. अस्पष्ट या निरर्थक आरोपों वाली शिकायत आवेदन स्वीकार नहीं की जाएंगी /
5. ईसेल द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतों आवेदनों के साथ भी अनिवार्य रूप से शपथ पत्र संलग्न किया जाना चाहिए /
VIGILANCE CELL
PATNA HIGH COURT
निगरानी कोषांग
पटना उच्च न्यायालय